

शारीरिक असमर्थताओं वाले मतदाताओं के लिए सहायता

राजकीय और संघीय कानूनों के अनुसार मतदान स्थल शारीरिक असमर्थताओं वाले मतदाताओं के लिए भौतिक रूप से सुलभ होने चाहियें। काउन्टी चुनाव अधिकारी प्रत्येक साइट का निरीक्षण करते हैं और चुनाव के दिन के लिए अस्थायी फेर-बदल करते हैं। मतदान स्थल में काम करने वाला प्रत्येक व्यक्ति चुनाव कानूनों और मतदाता अधिकारों में प्रशिक्षित है, जिनमें समान सुलभता सुनिश्चित करने के लिए नीतियों और कार्यविधियों में यथोचित संशोधन करने की ज़रूरत भी शामिल है।

राजकीय और संघीय कानूनों के अनुसार आवश्यक है कि सभी मतदाता अपने मतपत्रों को गोपनीय ढंग से और स्वतंत्र रूप से डाल पाने में समर्थ हों। हर मतदान स्थल के लिए कम से कम एक ऐसी मतदान मशीन रखना अनिवार्य है जो मतदाताओं, जिनमें ऐसे मतदाता भी शामिल हैं जो नेत्रहीन हैं या जिन्हें ठीक से दिखायी नहीं देता है, को बिना सहायता के मतपत्र डालने दे। वोटिंग मशीन मतदाताओं को अपने मतदान पसंदों को सत्यापित करने की सुविधा देती है, यदि कोई त्रुटि हो तो मतपत्र जमा करने से पूर्व उन पसंदों को सुधारने का मौका देती है।

अपना नमूना मतपत्र देखें



आपकी काउंटी नमूना मतपत्र पुस्तिका:

- यह बताएगी कि शारीरिक अक्षमता वाले लोग कैसे अपना मत गोपनीय और स्वतंत्र तरीके से डाल सकते हैं
- यदि आपका मतदान स्थल शारीरिक असमर्थताओं वाले मतदाताओं के लिए सुलभ है तो एक व्हीलचेयर का चिह्न दर्शाएगी

मतदान स्थल पर

यदि आपको आने मतपत्र पर निशान लगाने के लिए मदद की ज़रूरत है तो आप इसके लिए दो व्यक्तियों को चुन सकते हैं। यह व्यक्ति नहीं हो सकता:

- आपका नियोक्ता अथवा वह जो आपके नियोक्ता के लिए काम करता हो
- आपका श्रमिक यूनियन नेता अथवा कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आपके श्रमिक यूनियन के लिए काम करता हो

कर्वसाइड पर मतदान आपको मतदान स्थल के निकटतम अपनी गाड़ी पार्क करने की सुविधा देता है। आप चाहे वास्तविक कर्व पर हों या अपनी कार में, मतदान अधिकारी आपका हस्ताक्षर लेने के लिए एक रोस्टर लेकर आएंगे और आपको एक मतपत्र और अन्य ज़रूरी चुनाव सामग्री देंगे। यह देखने के लिए कि क्या आपके मतदान स्थल पर कर्वसाइड मतदान उपलब्ध है, अपने काउंटी चुनाव कार्यालय से सम्पर्क करें।

मतदाता पंजीकरण

यदि आप वोट डालने के लिए पहले से पंजीकृत हैं तो आपको फिर से पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं है **बशर्ते** आपने अपना नाम, घर का पता, डाक का पता नहीं बदला हो अथवा आप राजनैतिक दल बदलना या चुनना चाहते हों।

आप ऑनलाइन मतदान करने के लिए यहां पंजीकरण करा सकते हैं RegisterToVote.ca.gov अथवा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के निःशुल्क वोटर हॉटलाइन (888) 345-2692 पर फोन कर अपने लिए फॉर्म मेल के जरिए मंगा सकते हैं।

मतदाता पंजीकरण आवेदन-पत्र अधिकतर डाकखानों, पुस्तकालयों, शहर और काउंटी के सरकारी कार्यालयों, और California सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के कार्यालय से भी प्राप्त किया जा सकता है।

मतदाता पंजीकरण गोपनीयता सूचना

सेफ एट होम गोपनीय मतदाता पंजीकरण प्रोग्राम: कुछ मतदाताओं के लिए जानलेवा परिस्थितियों (जैसे- घरेलू हिंसा, धोखे का शिकार) के कारण गोपनीय मतदाता स्थिति उपयुक्त हो सकती है। और अधिक जानकारी के लिए, (877) 322-5227 पर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के सेफ एट होम कार्यक्रम की टोल-फ्री लाइन से सम्पर्क करें या विजिट करें <http://www.sos.ca.gov/registries/safe-home/>.


मतदाता सूचना गोपनीयता: आपके मतदाता पंजीकरण हलफनामे में दी गई सूचना का प्रयोग करके चुनाव अधिकारी आपको मतदान प्रक्रिया के बारे में आधिकारिक सूचना भेजेंगे, जैसे कि आपके मतदान स्थल की जगह और मुद्दे तथा उम्मीदवार जो मतपत्र पर दिखाई देंगे। मतदाता पंजीकरण सूचना का वाणिज्यिक उपयोग करने की कानूनन मनाही है और इसे एक दुष्कर्म माना जाएगा। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा तय किए गए अनुसार किसी पद के उम्मीदवार, मतपत्र विधेयक समिति को, अथवा किसी अन्य व्यक्ति को चुनाव, अध्ययन, पत्रकारिता, राजनीतिक, अथवा सरकारी उद्देश्यों के लिए मतदाता जानकारी उपलब्ध कराई जा सकती है। आपके मतदाता पंजीकरण कार्ड पर दर्शाए गए ड्राइवर लाइसेंस और सोशल सिक्युरिटी नम्बर, अथवा आपके हस्ताक्षर, इन उद्देश्यों के लिए नहीं दिए जा सकते। यदि आपके मन में मतदाता जानकारी के संबंध में कोई प्रश्न हों अथवा आप ऐसी जानकारी के संदिग्ध दुरुपयोग की रिपोर्ट करना चाहते हों, तो कृपया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की मतदाता हॉटलाइन (888) 345-2692 पर फोन करें।

मतदान के तरीके



डाक द्वारा मतदान

- डाक-द्वारा-मतदान के लिए 1 नवंबर तक अनुरोध करें।
- डाक से वापसी—अवश्य ही 8 नवंबर की या पहले की डाक की मुहर लगी हो और आपके काउंटी चुनाव कार्यालय द्वारा 14 नवंबर तक प्राप्त होना चाहिए।
- व्यक्तिगत रूप से वापसी—आपके काउंटी चुनाव कार्यालय या आपकी काउंटी के किसी भी मतदान स्थल पर 8 नवंबर रात 8:00 बजे से पहले।



व्यक्तिगत रूप से जल्दी मतदान करें

कुछ काउंटी कुछ स्थानों पर चुनाव के दिन से पहले जल्दी मतदान की सुविधा प्रदान करती हैं। यह जानने के लिए काउंटी चुनाव कार्यालय पर संपर्क करें कि क्या वे जल्दी मतदान की सुविधा प्रदान करती हैं। काउंटी संपर्क सूचना यहां मिल सकती है: <http://www.sos.ca.gov/elections/voting-resources/county-elections-offices/>



चुनाव के दिन मतदान स्थल पर मतदान करें

- चुनाव के दिन मतदान स्थल खुले हैं: 8 नवंबर सुबह 7:00 बजे से रात 8:00 बजे तक।
 - आपके मतदान स्थल का स्थान आपके काउंटी चुनाव अधिकारी द्वारा आपको डाक से भेजी गई नमूना मतपत्र पुस्तिका के पिछले पेज पर छपा हुआ है। आप अपने मतदान स्थल का स्थान पा सकते हैं:
- ☎ फोन करके (888) 345-2692
 - 💻 ऑनलाइन www.sos.ca.gov/elections/polling-place
 - 📱 GOVOTE (468683) के लिए वोट टेक्स्ट करके

अंतरिम मतदान

अगर आपका नाम आपके मतदान स्थल पर मतदाता सूची में नहीं हो, तो आपको एक अंतरिम मतपत्र पर मतदान करने का अधिकार है।

अंतरिम मतपत्र क्या है?

कोई अंतरिम मतपत्र एक नियमित मतपत्र होता है जो मतपेटी में डालने से पहले एक विशेष लिफाफे में रखा जाता है।

अंतरिम मतपत्र कौन डालता है?

अंतरिम मतपत्र वे मतपत्र होते हैं जिन्हें ऐसे मतदाताओं द्वारा डाला जाता है जो:

- मानते हैं कि वे मतदान के लिए पंजीकृत हैं भले ही उनके नाम मतदान स्थल पर आधिकारिक मतदाता पंजीकरण सूची में नहीं हैं।
- डाक द्वारा मतदान लेकिन उन्हें अपने मतपत्र प्राप्त नहीं हुए या जिनके मतपत्र उनके पास नहीं हैं, और इसके बजाय वे मतदान स्थल पर मतदान करना चाहते हैं।

क्या मेरे अंतरिम मतपत्र को गिना जाएगा?

आपका अंतरिम मतपत्र चुनाव अधिकारियों के द्वारा यह पुष्टि कर लिये जाने के बाद गिना जायेगा कि आप उस काउंटी में मतदान करने के लिए पंजीकृत हैं और आपने उस चुनाव में पहले से ही मतदान नहीं किया है।

आप ऐसी किसी भी काउंटी पर एक अंतरिम मतपत्र के जरिए मतदान कर सकते हैं जिसमें आप मतदान के लिए पंजीकृत हैं, हालांकि, केवल उन्हीं को गिना जाएगा जिन चुनाव लड़ने वालों को मतदान करने के आप पात्र हैं।

आप अपने अंतरिम मतपत्र की स्थिति की जांच कैसे कर सकते हैं?

अंतरिम मतपत्र डालने वाले प्रत्येक मतदाता को अपने काउंटी चुनाव अधिकारी से यह पता करने का अधिकार है कि क्या उसका मतपत्र गिना गया और, यदि नहीं, तो वह कारण कि इसे क्यों नहीं गिना गया।



यहां पर जाएं <http://www.sos.ca.gov/elections/ballot-status/>

काउंटी संपर्कों और इस जानकारी के लिए कि कैसे अपने अंतरिम मतपत्र की स्थिति को जांचें।

सारांश

एक "हाँ" का मत इस संविधि को अनुमोदित करता है एवं एक "न" का मत इस संविधि को अस्वीकृत करता है, जो किराना व अन्य दुकानों के लिए ग्राहकों को एक बार प्रयोग होने वाले प्लास्टिक या कागज के कैरीआउट बैग प्रदान करना निषिद्ध करता है परंतु पुनर्चक्रित कागज के बैग एवं पुनः प्रयोग हो सकने वाले बैगों की विक्री की अनुमति देती है। वित्तीय प्रभाव: राज्य एवं स्थानीय सरकारों पर अपेक्षाकृत रूप से छोटे वित्तीय प्रभाव, जिनमें राज्य प्रशासनिक लागत में मामूली वृद्धि तथा कचरा व अवशिष्ट प्रबंधन लागत में कमी आने से हुई संभावित, अल्प, स्थानीय सरकार की बचत शामिल है।

आपके वोट का क्या मतलब है

हाँ इस विधेयक पर हाँ वोट का मतलब है: अधिकतर किराने की दुकानों, सुविधा स्टोर्स, दवा की बड़ी दुकानों, तथा शराब की दुकानों को एक-बार इस्तेमाल किए जाने वाले प्लास्टिक के कैरीआउट बैग देने पर प्रतिबंधित किया जाएगा। स्टोर्स को आमतौर पर अपने ग्राहकों को कैरीआउट बैग मुहैया करने के लिए अपने चेकआउट बिंदु पर कम से कम 10 सेंट का शुल्क लेना होगा। इस प्रकार एकत्र हुए राजस्व को स्टोर्स द्वारा किन्हीं विशेष उद्देश्यों के लिए रखा जा सकता है।

नहीं इस विधेयक पर नहीं वोट का मतलब है: स्टोर एक-बार इस्तेमाल किए जाने वाले कैरीआउट बैग और अन्य बैग मुफ्त देना तब तक जारी रख सकते हैं जब तक कि कोई स्थानीय कानून ऐसे बैगों के इस्तेमाल को प्रतिबंधित न करता हो।

तर्क

पक्ष प्रस्ताव 67 पर हाँ प्लास्टिक के ग्रोसरी बैग हटाने में California के सफल प्रयासों की रक्षा करता है। प्लास्टिक बैग से वन्यजीवों का दम घुटता है, समुदाय में कचरा फैलता है, सफाई की लागत बढ़ती है, रिसाइक्लिंग मशीनें अवरुद्ध होती हैं। प्लास्टिक ग्रोसरी बैग पर रोक CALIFORNIA के 150 समुदायों में क्रियान्वित है। राज्य से बाहर की प्लास्टिक कंपनियों को California के कल्याण में बाधा डालने से रोकें। 67 पर हाँ।

विपक्ष मूर्ख न बनें। प्रस्ताव 67 सालाना \$300 मिलियन का एक छुपा हुआ कर है जिसे अदा करने के लिए ग्राहक हर ग्रोसरी बैग पर \$.10 चुकाने को बाध्य होंगे। एक भी पैनी पर्यावरण पर खर्च नहीं की जाएगी। संपूर्ण \$300 मिलियन की राशि ग्रोसरी स्टोर्स के लाभ में जुड़ जाएगी। बैग टैक्स को रोकें . . . प्रस्ताव 67 पर नहीं में मतदान करें।

अतिरिक्त जानकारी के लिए

पक्ष में

Mark Murray
California vs Big Plastic
921 11th Street, Ste. 420
Sacramento, CA 95814
(916) 443-5422
murray@cawrecycles.org
protectplasticbagban.org

विरुद्ध

No on 67
2350 Kerner Blvd., Suite 250
San Rafael, CA 94901

इनके लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की वेबसाइट देखें:

- प्रचार में अंशदान और लॉबिंग गतिविधि पर शोध करने के लिए cal-access.sos.ca.gov या powersearch.sos.ca.gov
- इस मतदाता मार्गदर्शिका को अन्य भाषाओं में देखने के लिए www.voterguide.sos.ca.gov
- चुनाव के दिन अपना मतदान केंद्र ढूँढने के लिए www.sos.ca.gov/elections/polling-place
- डाक द्वारा मतदान मतपत्र प्राप्त करने के लिए www.sos.ca.gov/elections/voter-registration/vote-mail
- पहली बार वोट देने वाले मतदाताओं के लिए सहायक सूचना पढ़ने के लिए www.sos.ca.gov/elections/voting-california
- चुनाव के दिन मतदान बंद हो जाने के बाद चुनाव नतीजों का सीधा प्रसारण देखने के लिए <http://vote.sos.ca.gov>

ऑडियो और बड़े अक्षरों में छपी हुई मतदाता सूचना मार्गदर्शिकाएं

यह मार्गदर्शिका बिना किसी लागत के अंग्रेजी, चीनी, हिन्दी, जापानी, खमेर, कोरियाई, स्पैनिश, टेगालॉग, थाई, तथा वियतनामी में उपलब्ध है।

ऑर्डर करने के लिए:

📞 सैक्रेटरी ऑफ स्टेट की टोल-फ्री मतदाता हॉटलाइन (888) 345-2692 पर कॉल करें

🌐 www.sos.ca.gov पर जाएं

🎧 www.voterguide.sos.ca.gov/hi/audio से ऑडियो MP3 संस्करण डाउनलोड करें

अपने मतदान स्थल को खोजें

मतदान स्थल काउंटी के चुनाव अधिकारियों के द्वारा स्थापित किए जाते हैं। जब आपको चुनाव के दिन से कुछ हफ्ते पहले डाक में अपनी काउंटी नमूना मतपत्र पुस्तिका प्राप्त हो, तो उसके पीछे के कवर पर अपने मतदान स्थल के पते तलाशें।

आप www.sos.ca.gov/elections/polling-place पर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की वेबसाइट पर जा सकते हैं या (888) 345-2692 पर टोल-फ्री मतदाता हॉटलाइन को फोन कर सकते हैं।

अपने मतदान स्थल के स्थान का पता लगाने के लिए GOVOTE (468683) पर Vote टेक्स्ट संदेश भी भेज सकते हैं।

California में चुनाव

California के कानून के अनुसार इस गाइड में निम्नलिखित जानकारी छापी जानी आवश्यक है।

दल द्वारा नामित/दल-समर्थित पद

प्राथमिक चुनाव में राजनीतिक पार्टियां औपचारिक रूप से दल द्वारा नामित/दल-समर्थित पद पदों के लिए उम्मीदवारों को नामांकित कर सकती है। कोई नामित उम्मीदवार आम चुनाव में उस खास पद के लिए उस दल के आधिकारिक उम्मीदवार के तौर पर उस दल का प्रतिनिधित्व करेगा और मतपत्र में आधिकारिक निर्देश दर्शाया जाएगा। प्राथमिक चुनाव में प्रत्येक दल के सर्वाधिक मत पाने वाले उम्मीदवार आम चुनाव में चले जाते हैं। दल प्राथमिक चुनाव में काउंटी की केंद्रीय समितियों के अधिकारी भी चुनते हैं।

कोई मतदाता केवल उस राजनीतिक दल के प्राथमिक चुनाव में मत दे सकता या सकती है जिसके लिए उसने मत के लिए पंजीकृत होते समय कोई पसंद प्रकट की है। हालांकि, किसी राजनीतिक दल द्वारा ऐसे व्यक्ति को उस दल के प्राथमिक चुनाव में मत देने की अनुमति दी जा सकती है जिसने पार्टी पसंदगी प्रकट करने से मना कर दिया है।

मतदाता-नामित पद

प्राथमिक चुनाव में राजनीतिक पार्टियां औपचारिक रूप से मतदाता-नामित पदों के लिए उम्मीदवारों को नामित करने की हकदार नहीं हैं। प्राथमिक चुनाव में किसी मतदाता-नामित पद के लिए नामित उम्मीदवार लोगों का नामित उम्मीदवार है, न कि आम चुनाव में किसी भी पार्टी का आधिकारिक नामित उम्मीदवार। किसी मतदाता-नामित पद के नामांकन के लिए उम्मीदवार के द्वारा अपनी पार्टी पसंदगी, या पार्टी पसंदगी का अभाव मतपत्र पर बताया गया होगा, लेकिन पार्टी पसंदगी पदनाम का चयन केवल उम्मीदवार के द्वारा किया जाता है और उसे केवल मतदाताओं की जानकारी के लिए दर्शाया जाता है। इसका मतलब यह नहीं है कि उम्मीदवार निर्दिष्ट पार्टी के द्वारा नामित या समर्थित है, या कि पार्टी और उम्मीदवार के बीच कोई संबद्धता है, और मतदाताओं के द्वारा नामित किसी भी उम्मीदवार को किसी भी राजनीतिक पार्टी का आधिकारिक तौर पर नामित उम्मीदवार होना नहीं समझा जायेगा। काउंटी की नमूना मतपत्र पुस्तिका में, पार्टियां मतदाता-नामित पदों के लिए ऐसे उम्मीदवारों को सूचीबद्ध कर सकती हैं जिन्हें पार्टी का आधिकारिक समर्थन प्राप्त हुआ है।

कोई भी मतदाता किसी भी मतदाता-नामित पद के उम्मीदवार के लिए मतदान कर सकता है, अगर वे उस पद के लिए मतदान करने हेतु आवश्यक अन्य योग्यताओं को पूरा करते हों। प्राथमिक चुनाव में दो शीर्ष मत-प्राप्तकर्ता मतदाता-नामित पद के लिए आम चुनाव की दिशा में आगे बढ़ते हैं, भले ही दोनों उम्मीदवारों ने एक ही पार्टी पसंदगी पदनाम निर्दिष्ट किया हो। कोई भी पार्टी अपनी पार्टी पसंदगी पदनाम वाले किसी उम्मीदवार को आम चुनाव की दिशा में आगे बढ़ाने की हकदार नहीं है, जब तक कि वह उम्मीदवार प्राथमिक चुनाव में दो अधिकतम मत-प्राप्तकर्ताओं में से एक न हो।

निर्दलीय पद

राजनीतिक पार्टियां प्राथमिक चुनाव में निर्दलीय पदों के लिए उम्मीदवारों को नामित करने की अधिकारी नहीं हैं, और प्राथमिक चुनाव में कोई उम्मीदवार आम चुनाव में विशिष्ट पद के लिए किसी भी पार्टी का आधिकारिक नामित उम्मीदवार नहीं होता है। किसी निर्दलीय पद के नामांकन के लिए उम्मीदवार, मतपत्र पर, अपनी पार्टी पसंदगी, या पार्टी पसंदगी का अभाव निर्दिष्ट नहीं कर सकता है। प्राथमिक चुनाव में दो शीर्ष मत-प्राप्तकर्ता निर्दलीय पद के लिए आम चुनाव की दिशा में आगे बढ़ते हैं।

राज्यव्यापी उम्मीदवारों और मतपत्र विधेयकों के लिए शीर्ष योगदानकर्ता

जब कोई समिति (उम्मीदवारों या मतदान विधेयकों का समर्थन या विरोध करने के लिए मतदाताओं को प्रभावित करने के उद्देश्य से पैसा प्राप्त या खर्च करने वाला कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह) किसी मतदान विधेयक या उम्मीदवार का समर्थन या विरोध करती है और कम से कम \$1 मिलियन उगाहती है, तो समिति को अपने शीर्ष 10 योगदानकर्ताओं के बारे में California निष्पक्ष राजनीतिक कार्य-व्यवहार आयोग (California Fair Political Practices Commission - FPPC) को अवश्य सूचित करना चाहिए। कोई बदलाव होने पर समिति को शीर्ष 10 योगदानकर्ताओं की सूची को अद्यतन करना चाहिए।



ये सूचियाँ FPPC की वेबसाइट <http://www.fppc.ca.gov/transparency/top-contributors.html> पर उपलब्ध हैं।

याद रखने योग्य तारीख!



मत डालना न भूलें!

चुनाव के दिन मतदान सुबह 7:00 बजे से शाम 8:00 बजे तक खुले हैं।

अक्टूबर

र	सो	मं	बु	गु	शु	श
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

10 अक्टूबर 2016

प्रथम दिन वोट-बाय-मेल के लिए।

24 अक्टूबर 2016

मतदान करने हेतु पंजीकरण कराने के लिए आखिरी दिन।

नवम्बर

र	सो	मं	बु	गु	शु	श
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

01 नवम्बर 2016

अंतिम दिन है जब काउंटी चुनाव अधिकारी किसी मतदाता के वोट-बाय-मेल मतपत्र के आवेदन को स्वीकार करेंगे।

08 नवम्बर 2016

चुनाव दिवस!